कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, चतरा ।
(आपूर्त्ति शाखा)
प्रेस विज्ञापन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य के अन्य जिला के साथ–साथ चतरा जिला में राष्ट्रीय खाद्य सूरक्षा अधिनियम 2013 लागू है जिसके अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) एवं पूर्वविक्ता प्राप्त ग्रहस्थ योजना (PHH) के माध्यम से खाद्यान्न एवं अन्य सामाग्रियों का वितरण किया जा रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही हैं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कुछ ऐसे व्यक्ति AAY एवं PHH कार्ड बनाने में सफल हो गये हैं जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नहीं हैं। विदित हो कि सरकार द्वारा लाभूकों का चयन निर्धारित मानकों के आलोक में किया जाना है और झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की धारा 4 के उपधारा 3 के तहत दिये गये मानकों के अनुसार वैसे व्यक्ति/परिवार इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभ लेने के पात्र नहीं होंगेः–

(क) परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उप्रक्रम अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियाजित हो, अथवा;

(ख) परिवार का कोई सदस्य, आयकर/सेवा कर/व्यावसायिक कर देते हैं, अथवा;

(ग) परिवार के पास पाँच एकड से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड से अधिक भूमि है, अथवा;

(घ) परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है, अथवा;

(ड़) परिवार का कोई सदस्य, सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है, अथवा;

(च) परिवार के पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वॉशींग मशीन है, अथवा;

(छ) परिवार के पास कमरों में पक्की दिवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है, अथवा;

(ज) परिवार के पास मशीन चालित वार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) हैं।

वैसे लाभूक जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नहीं हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपने राशन कार्ड/आवेदन पर ग्राम पंचायत के मुखिया/पंचायत समिति/अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि से हस्ताक्षर करवाकर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 31.07.2019 तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी इस प्रकार प्राप्त सभी राशन कार्ड/आवेदन पर अपना अनुसंशा एवं हस्ताक्षर के साथ दिनांक 05.08.2019 तक जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगें ताकि उसपर तदनुसार अग्रेतर निर्णय/कार्यवाही किया जा सके। भविष्य में अपात्र व्यक्ति/परिवारों द्वारा अधिनियम का लाभ लिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर उनके राशन कार्ड को रद्द करने के अतिरिक्त झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2019 के धारा (7) उपधारा (ii) के तहत निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगीः–

(क) आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी,

(ख) लिए गए राशन की वसूली राशन लिए जाने की तिथि से भू–राजस्व के बकाए के सदृश्य बाजार दर पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज पर वसूल की जायेगी।

(ग) यदि वह भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उप्रक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो तो उपरोक्त के अलावा उस पर विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की जायेगी।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,

चतरा।